

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	मार्च 2023 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	10143	996	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2260	4	0	100
3	असम	5150	78	0	0
4	बिहार	8164	-	0	0
5	छत्तीसगढ़	6447	-	1	4008
6	गोवा	833	401	0	0
7	गुजरात	9790	585	0	0
8	हरियाणा	1787	1486	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	0	0
11	झारखंड	1053	-	0	0
12	कर्नाटक	14217	313	0	24491
13	केरल	2613	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1119	0	0
15	महाराष्ट्र	58404	1230	0	2000
16	मणिपुर	61	123	0	0
17	मेघालय	1032	82	8	0
18	मिज़ोरम	372	66	0	0
19	नगालैंड	1562	41	0	0
20	उड़ीसा	15914	1789	103	16493
21	पुदुचेरी	473	-	0	1100
22	पंजाब	6437	0	0	0
23	राजस्थान	-	-	129	7900
24	तमिलनाडु	8173	-	18	2396
25	तेलंगाना	6915	1512	0	0
26	त्रिपुरा	982	21	0	425
27	उत्तराखंड	4305	177	0	0
28	उत्तर प्रदेश	5756	-	116	0
29	पश्चिम बंगाल	11186	816	239	0
	कुल	184029	10839	613	58913

टिप्पणियाँ: 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।

2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।

3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।